

**कार्यालय,
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ: दिनांक: 16-9-2020

:-कार्यालय ज्ञाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी कार्यालय ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैदिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जमिनी द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदी पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद्देन में डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पहल विचार-विमर्श कर निम्नवात् निर्णय लिया गया :-

“ निजी क्षेत्र में स्थापित डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं, एवं सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें यथावत् अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया।”

दिनांक 14-08-2020 को आहूत सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नोक्त शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	पी०सी०आई०/परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	2088	डूबरा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मसी एवं नर्सिंग, पी०-लखनऊ, अनूपुर।	डिप्लोमा इन फार्मसी	80	80

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था पी०सी०आई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद कानून/संस्था 1982, संसदीय विधेयक/संस्था 2016 तथा अन्य विभिन्न विधेयकों का अनुपालन करेगी तथा शून्य निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शून्य तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹० 30,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- 45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०-22,500.00 प्रतिवर्ष शून्य ही प्रवेश लागू/लागू से प्रेषित किया जायेगा। संस्थाओं के अधीनस्थ छात्र/छात्राओं से शून्य के सम्बन्ध में समय-समय पर

44

कार्यालय,

सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राविण/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ दिनांक: 09/08/2021

:-कार्यालय त्वाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मैसी कउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/ पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दा पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 3386-KRISHNA INSTITUTE OF PHARMACY AND SCIENCES GRAM
AMLIHA POST-TATIYAGANJ KANPUR-209217

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021- 22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमगानी 1992, सेमेस्टर विनियमावली-2018 तथा अन्य निमित्त नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वार्षिक इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम हेतु रु०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वार्षिक पाठ्यक्रमों (दो वार्षिक फार्मैसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्यन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का प्रवर्द्धित किया जाता है, तो फीस की तटीतलम दर लागू होगी।

अवार्डोप

संघिय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राथमिकपरिषद संख्या/2022/5678

तखाना- दिनांक: 03/12/2022

अवार्डोप शीर्षक:

अखिल भारतीय राजनीति शिक्षा परिषद, नई दिल्ली परामर्श काउन्सिल अफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा प्रेषित सं.2022-23 हेतु दिवसीय सार्वीय राजनीति शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 03/12/2022 को परिषद अवार्डोप में सम्बद्धता समिति को बैठक संकेत बुद्धि। बैठक में समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु आवंटित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण वे सम्बद्धता संस्थाओं को सम्बद्धता विवरण प्रदान किया। प्रो. अमर बुद्धि वरिष्ठ संस्थाओं पर विचार करते हुए सं. 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति को बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, उ.प्र. सरकार द्वारा सं. 2022-23 हेतु नियुक्ति करी के अतिरिक्त पाठ्यक्रम एवं उपरान्त अखिल प्रयोग प्रयोग हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विवरण प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 0396-0298-DMA INSTITUTE OF PHARMACY AND SCIENCES

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सीपी0डी0पी0सी0आई0एस द्वारा नियुक्ति हेतु सं० 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रयोग प्रस्ता	परिषद द्वारा सं० 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रयोग प्रस्ता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सीपी0डी0पी0सी0आई0एस द्वारा नियुक्ति को नये सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद सं. 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियम001/ 1992, विनियम001-2000, विनियम001-2016 तथा संस्था-संस्था पर निर्णय कारवायों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क वीन वर्गीय (बी0) पाठ्यक्रम हेतु सं० 001/01/001, उच्च001, डी वर्गीय (ए0सी) पाठ्यक्रम हेतु सं० 45/00/001, प्रतिवर्ष एवं एक तथा डी वर्गीय पाठ्यक्रमों (डी वर्गीय (ए0सी) पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सं०-22/503/001, प्रतिवर्ष शुल्क ही अर्द्धेक (उप001) से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों से शुल्क के सम्बन्ध में समझ-समझ पर काला द्वारा निर्णय किये जाने वाले कारवायों प्रस्ताई होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। सभी निर्णय समिति द्वारा सं. 2022-23 हेतु पूर्णतः अनुमोदित किया जाता है, वे पूर्णतः की कार्यवाही करे तत्पु होंगे।
- ✓ संस्था में अनुसूचित प्रयोग प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा आवंटित करी को ही प्रयोग दिए जाएंगे।
- ✓ संस्था को समझ-समझ पर निर्णय कारवायों के अनुसार निर्देश एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय विनियम001/अतिरिक्त/सामान्य001/निर्देश001 एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संसुदा प्रवेश प्रो. शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये निर्णय, विनियमों, कर्तव्यों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।